

उत्तर प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1
संख्या- 8/2017/85/64-01-2017-52/2016
लखनऊ: दिनांक-16 फरवरी, 2017

शुद्धि पत्र

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी अधिसूचना संख्या-792/64-1-2016 दिनांक 26-12-2016 के क्रमांक-4 में अंकित "35-लोहार, लोहार-सैफी, बढई-सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जांगिड, धीमान।" में से बढई जाति मूल अधिनियम-2002 से पृथक हो जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिसूचना के क्रमांक-4 को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"35-लोहार, लोहार-सैफी, बढई, बढई-सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जांगिड, धीमान।" पढा/समझा जायें।

उक्त हिन्दी अधिसूचना को तदनुसार संशोधित समझा/पढा जायें।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी हिन्दी गजट के अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों(केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।
- 8- निबन्धक, उ०प्र०सहकारी समितियां, लखनऊ।
- 9- समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- 12- निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया, उ०प्र०।
- 14- निबन्धक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
- 15- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
- 16- सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 17- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 18- सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 19- निदेशक, उ०प्र०प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 20- समस्त निजी सचिव, मा०मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 21- प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 22- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।